

[भारत के राजपत्र, असाधारण की भाग-11, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 19/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि. (अ). - एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I - 5% में,

(i) क्रम संख्या 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"102क	2207	एथाइल एल्कोहल, जो कि मोटर स्प्रीट (पेट्रोल) में मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आपूर्त किया गया हो ”;
-------	------	--

(ii) क्रम संख्या 123 में, कॉलम (2) और कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"2515 (2515 12 10, 2515 12 20, 2515 12 90 को छोड़कर) या 6802	एकाउसिन और अन्य केलकेरियस संस्मारकीय या निर्माणी प्रस्तर; एलबास्टर [संगमरमर और ट्रैवर्टाइन से भिन्न], दर्पण के सदृश तराशे गए पत्थर जो कि प्रयोग किए जाने के लिए तैयार हैं से भिन्न”;
---	--

(iii) क्रम संख्या 170 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"170क	2809	उर्वरक ग्रेड के फास्फोरिक एसिड”;
-------	------	----------------------------------

- (iv) क्रम संख्या 215 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “, जिसमें कोयर पिथ कम्पोस्ट जो कि यूनिट कंटेनर में बंद हों और जिनका ब्रांड नेम हो भी आते हैं” को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 219 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कोयर मेट्स, मैटिंग, फ्लोर कवरिंग और हैंडलूम दरिया”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 219क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “सभी वस्तुएं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 222 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“61 या 6501 या 6505	परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन या कैप/टोपी जो बुने हुए या क्रोशियाकृत हैं, जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक नहीं है,
---------------------	--

- (viii) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) में अंक “500” के स्थान पर अंक “1000” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 264 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “बायोमास ब्रिक्क्यूटीस या ठोस बायो फ्यूल पेलेट्स”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची II में-12%, -

- (i) क्रम संख्या 57ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“96क	4409	बम्बू फ्लोरिंग”;
------	------	------------------

- (iii) क्रम संख्या 146 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द “अनुसूची I में 219 में आने वाले मदों को छोड़कर”, को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 147 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 185 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“185क	7419 99 30	ब्रास केरोसिन प्रेशर स्टोव”;
-------	------------	------------------------------

- (vi) क्रम संख्या 195क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“195क	8420	हस्त चालित रबर रोलर
195कक	8424	स्प्रिंकलर या बूँद-बूँद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) उपकरणों के लिए नोज़ल”;

- (vii) क्रम संख्या 206 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“206क	87	फ्यूल सेल मोटर व्हीकल्स” ;
-------	----	----------------------------

- (viii) क्रम संख्या 231क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“231ख	9607	स्लाइड फास्टनर्स”;
-------	------	--------------------

- (ix) क्रम संख्या 235 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“9619 00 30, 9619 00 40 या 9619 00 90	सभी वस्तुएं”;
---	---------------

(ग) अनुसूची III में-18%, -

- (i) क्रम संख्या 25 में, कॉलम (3) में शब्द, “किसी भी प्रबलता के”, के पश्चात, कोष्ठक और शब्द “[मोटर स्प्रीट (पेट्रोल) में मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आपूर्त किए जाने वाले इथाइल अल्कोहल से भिन्न]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“52क	3208	पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल और लेकर हैं] जो संश्लिष्ट बहुलक या रसायनिक रूप में उपांतरित प्राकृतिक बहुलक पर आधारित हैं और जो अजलीय माध्यम परिक्षेपित या विलीन हैं; इस अध्याय के टिप्पण 4 में यथापरिभाषित
52ख	3209	पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल और लेकर हैं] जो संश्लिष्ट बहुलक या रसायनिक रूप में उपांतरित प्राकृतिक बहुलक पर आधारित हैं और जो अजलीय माध्यम परिक्षेपित या विलीन हैं
52ग	3210	अन्य पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल, लेकर और डिस्टेंपर हैं]; इस प्रकार के निर्मित जल वर्णक, जिनका उपयोग चमड़े की परिसज्जा के लिए किया जाता है”;

- (iii) क्रम संख्या 54क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“54ख	3214	ग्लैजियर पुट्टी, प्ररोपण पुट्टी, रेसिन सीमेंट, संधिरोधी योगिक और अन्य मैस्टिक; पेंटर भरक, भवन मुखों, भीतरी दिवारों, अंतस्छदों या वैसी ही वस्तुओं के लिए अन्य-उच्चताप सह पृष्टन निर्मितियां”;
------	------	--

- (iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में, शब्द, “या अंत में जुड़े” के स्थान पर कोष्ठक और शब्द, “[बम्बू फ्लोरिंग से भिन्ना]” को जोड़ा जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 177 ड. में, कॉलम (3) में, शब्द, “अनुसूची 1 में, क्रम संख्या 123 में आने वाले मदों को छोड़कर”, को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 253 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “तांबे की बनी अन्य वस्तुएं [ब्रास केरोसिन प्रेशर स्टोव से भिन्ना]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 319 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“319क	8418	प्रशीतित, हिमित्र और प्रशीतन या हिमकरण उपस्क्र, बिजली से चलने वाले या अन्यम; ताप पंप, शीर्ष” 8415 की वातानुकूलन मशीनों से भिन्नक”;
-------	------	--

(viii) क्रम संख्या 321 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कैलेंडरिंग या अन्य रोलिंग मशीन, इनसे भिन्न जो धातु या कांच से बने हों, और उनके सिलेंडर [हस्तचालित रबर रोलर से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 341 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“341क	8450	घरेलू या लॉन्ड्री प्रकार की धावन मशीनें, जिनके अंतर्गत वे मशीनें भी हैं, जो धावन और शुष्कन दोनों कार्य करती हैं”;
-------	------	---

(x) क्रम संख्या 376क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“376कक	8507 60 00	लिथियम-ऑयन बैट्रीज
376कख	8508	वैक्यूम क्लीनर्स
376कग	8509	विद्युत यांत्रिकी, घरेलू साधित्र, स्वतः पूर्ण विद्युत मोटर सहित, शीर्ष 8508 के निर्वात निर्मलित्रों से भिन्न, [वैट ग्राइंडर जिसमें पत्थर के ग्राइंडर लगे हों से भिन्न]
376कघ	8510	शेवर, केशप्रकर्तित्र और बाल सफाई साधित्र, स्वतःपूर्ण विद्युत मोटर सहित”;

(xi) क्रम संख्या 378 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“378क	8516	विद्युत तात्क्षरणिक या भंडारण जल तापित्र और निमज्जनन तापित्र विद्युत स्पेस तापन उपकरण और मृदा तापन उपकरण ; विद्युत तापीय केश प्रसाधन उपकरण
-------	------	--

		(उदाहरणार्थ केश शुष्कित, केशवलयित्र, वलीयन टांग तापित्र) और हस्तं शुष्कित्र; विद्युत मस्त्ररण इस्त्री; इसी प्रकार के अन्य तापीय साधित्र जिनका उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है, विद्युत तापमान प्रतिरोधित्र, उनसे भिन्नत, जो शीर्ष 8545 के अंतर्गत आते हैं।”;
--	--	--

- (xii) क्रम संख्या 383ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“383ग	8528	टेलीविजन सेट (एलसीडी या एलईडी टेलीविजन समेत) जिनकी स्क्रीन का आकार 68 सेंटीमीटर से अधिक न हो” ;
-------	------	---

- (xiii) क्रम संख्या 401 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“401क	8705	विशिष्ट प्रयोजन मोटरयान उनसे भिन्न जो प्रधानता व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए अभिकल्पित हैं (उदाहरणार्थ ब्रेकडाउन लारियों, क्रेन, लारियों, अग्नि संबंधी यान, कंक्रीट मिक्सर लारियां, सड़क झाड़न लारियां, फुहारन लारियां, चल कर्मशालाएं, चल विकिरण यूनिटें)”;
-------	------	--

- (xiv) क्रम संख्या 402 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“402क	8709	इस प्रकार के स्वतः नोदित संकर्म ट्रक, जिनमें उत्कलर्षण या हस्त न उपस्कयर फिट नहीं हैं, जिनका उपयोग कारखानों, भांडागारों, डाकक्षेत्रों या विमानपत्तनों में माल के कम दूरी के परिवहन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के ट्रैक्टरों, जिनका उपयोग रेल स्टेशन प्लेकटफार्मों पर किया जाता है, पूर्वगामी यानों के पुर्जे”;
-------	------	--

- (xv) क्रम संख्या 403 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“403क	8716	अनुयान या सेमी अनुयान, अन्य यान जो यंत्र नोदित नहीं हैं; उनके पुर्जे (कृषि प्रयोजनों के लिए स्वतः लदाई या स्वतः उतराई अनुयान और हस्त नोदित यान से भिन्न) (अर्थात् हस्तयकाइस और वैसे ही यान) ; पशु द्वारा खींचे जाने वाले यान”;
-------	------	--

- (xvi) क्रम संख्या 446 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“9607 20 00	स्लाइड फास्टनर्स के पार्ट्स”;
-------------	-------------------------------

- (xvii) क्रम संख्या 449क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“449कक	9616	इत्र फुहार और वैसे ही प्रसाधन फुहार और उनके धारक तथा शीर्ष, श्रृंगार या प्रसाधन निर्मितियों के उपयोग के लिए पाउडर-पफ और पैड”;
--------	------	---

(घ) अनुसूची -IV में-28%,-

- (i) क्रम संख्या 20, 21, 22 और 24 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 120 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 130 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “विद्युत संचायक, जिसके अंतर्गत उसके पृथक् भी हैं, चाहे वे आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) है या नहीं जो लिथियम आयन बैट्री से पृथक् हों” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 140, 141, और 142 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 154 में, कोष्ठक, शब्द और अंक “[उन कम्प्यूटर मॉनीटर से भिन्न जो 20 इंच से अधिक न हों और टेलीविजन के सेट टॉप बॉक्स से भिन्न]”, के स्थान पर कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर “[उन कम्प्यूटर मॉनीटर जो 20 इंच से अधिक न हों, टेलीविजन के

सेट टॉप बॉक्स और टेलीविजन सेट्स (जिनमें एलसीडी और एलईडी टेलीविजन आते हैं) जिनके स्क्रीन का आकार 68 सेंटीमीटर से अधिक न हो से पृथक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (viii) क्रम संख्या 167 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 175 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी ।

(फाइल संख्या 354/255/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 7/2018- एकीकृत कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि 84 (अ.) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।